>

Title: Need to conduct an enquiry into the irregularities in the SFC procurement of paddy in Bihar.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): धन्यवाद सभापति जी, आपने एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने के लिए मुझे अनुमति दी है।

महोदय, बिहार राज्य में कथित रूप से 30 लाख टन धान की खरीद की गयी है। मुख्यतः धान की खरीद एसएफसी के द्वारा सीधे या प्राथमिक कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से की गयी। खरीद में की गयी धांधली की कोई सीमा नहीं है। जहां किसानों को धान कीमत 1080 रुपये प्रति क्विंटल मिलनी चाहिए थी, वहां उन्हें 800 रुपये के आस-पास ही देकर बिचौलियों ने खरीद लिया है। बिचौलियों द्वारा खरीदे गए धान को एसएफसी द्वारा खरीदा गया दिखा दिया गया है। एक तरफ व्यापारियों से खरीद किसानों की सूची के आधार पर की गयी है और उसे पुनः उन्हें ही सीएमआर के लिए दे दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाए गए नियम के तहत धान तभी मिलर्स को, सीएमआर को दिया जाता है, जब मिलर्स अग्रिम रूप से चावल देते हैं। चावल की मात्रा प्राप्त होने पर उसी अनुपात में धान दिया जाता है। इस प्रचलित आधार पर एसएफसी कार्य करती है जिसे इस बार राज्य के अनर्थकारी निर्णय के द्वारा राज्य के किसानों एवं उपभोक्ताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अग्रिम चावल लेने की नीति को तिलांजलि देकर एकमुश्त धान सीएमआर के लिए देने की कागजी कार्रवाई की गयी। मिलर्स व्यापारी एसएफसी की कार्रवाई से उत्साहित होकर बिना धान की अधिप्राप्ति के, केवल किसानों की सूची प्रेषित कर तथा खेती के रकबे में जाल-फरेब कर एसएफसी की खरीद तथा पुनः सीएमआर के लिए धान प्राप्त करना शुरू कर दिया है जिसका नतीजा है कि आज तक एक-चौथाई चावल भी एफसीआई के गोदामों में नहीं पहुंचा है। तीन-चौथाई कथित धान मिलर्स के यहां है, जबकि वास्तविकता यह है कि न तो उनके पास चावल है, न धान है तथा करोड़ रुपये का नगद भुगतान प्राप्तकर गबन कर लिया गया है। इसी गबनित राशि से पुनः गेहूं की खरीद का खेल शुरू हो गया है। मिलर्स गेहूं की खरीद कर अपने गोदामों में भर रहे हैं तथा एसएफसी खरीद को बंद कर रखा है जिससे किसान 1000 रुपया प्रति क्विंटल के आस-पास अपना गेहूं बेचने के लिए बाध्य हैं। भारत सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना है, मगर इस वर्ष बिहार के किसान ने घाटा उठाकर अपने अनाज को बेचा है। राज्य सरकार ने व्यापारियों के साथ मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपये की लूट की और अब पुनः तैयारी है कि भारतीय खाद्य निगम से सस्ते दाम पर उपभोक्ताओं के नाम पर चावल-गेहूं निकालकर पुनः इसे ही एफसीआई को मिलर्स देंगे।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल बिहार सरकार, एसएफसी की खरीद की जांच करे तथा किसानों को हो चुकी क्षति के साथ उपभोक्ताओं के नाम पर होने वाली राष्ट्रीय क्षति से भी बचाए तथा गबनकर्ताओं को दंडित करने की व्यवस्था करे।